The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). The following schemes for the supply of drinking water to the areas under reference were received from the Government of Kerala:—

(i) Ponnani.

(ii) Guruvayoor, Kunnamkulam and Chowghat;

(iii) Terikaripur-Kadapuram.

(iv) Poovar Karichal.

Of these the Poovarkarichal scheme has been approved and the others were returned to the State Government with technical comments for revision.

Cancer Cure

2702. Shri Lakhmu Bhawani: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "Sarpagandha" can cure cancer effectively; and

(b) if so, the steps taken to produce this plant in suffieient quantity?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). No Sir; so far as the Government are aware Sarpagandha is not a cure for Cancer.

Industrial Housing Scheme

2703. Shri P. Kunhan: Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether any houses have so far been constructed for the workers of the Premier Tyres Ltd. at Kalamassery in Kerala under the Industrial Housing Scheme;

(b) whether any allocation has been made by Government for this purpose;

(c) if so, the total provision and the expenditure incurred; and

(d) if not, the reason therefor?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (d). Projects under the Subsidised Industrial Housing Scheme are sanctioned by the State Governments themselves. Information regarding the workers of the Premier Tyres Ltd. has been called for from the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as it is received.

उर्वरकों के संबंध में अनुसंधान

2704. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य और कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह सुझाव दिया था कि भारतीय उर्वरक संस्था में किसी प्रकार का प्रौद्योगिकीय विभाग अथवा कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के साथ-साथ अणु पोषों (माइक्रो न्यूट्रिएन्ट्स) के उत्पादन को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मिट्टी की किस्म पर रासायनिक उर्वरकों का प्रतिकूल प्रभाव न रहे; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० ला० मिश्र) : (क) और ख). नई दिल्ली में 21 से 23 दिसम्बर 1965 को सम्पन्न उर्वरक सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्टी को सम्बोधित करते हुए, उपाध्यक्ष योजना आयोग ने उर्वरक टैक्नोलोजी में जो प्रगति हुई है उसका हवाला दिया और आशा व्यक्त की कि, भारतीय उर्वरक संस्था, इसमें दिलचस्पी

रखने वाले टैक्नोलोजिस्टों के सहयोग से किसी प्रकार का टैक्नोलोजीकल सेल या विंग स्थापित करेगा । मिट्टी की उर्वरता बनाये रखने में अणुदोषों (माइक्रो न्यूट्रिएन्टस) की भूमि का भी उन्होंने हवाला दिया और सुझाव दिया कि रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के साथ साथ तदनुसार सन्तुलित विकास सुनिश्चित करने की सम्भावना को भी ध्यान में रखा जाय ।

(ग) भारतीय उर्वरक संस्था भारत में उर्वरकों के उत्पादकों का एक निजी संगठन है । यह उसका काम है कि उपाध्यक्ष ने जो सुझाव दिये हैं उन पर समुचित कार्रवाई करें ।

ठेकेदारों को प्रशिक्षण

2705. श्री म० ल० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बख्शी :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस सिफारिश पर कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में निर्माण-कार्य में लगे हुए सभी ठेकेदारों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये सरकार ने उनको प्रशिक्षण देने का जो कार्य आरम्भ किया था उसमें क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान ठेकेदारों को पूर्व-निर्मित (प्री-फैब्रिकेटेड अथवा प्री-स्ट्रैस्ड) निर्माण कार्यों के करने में कठिनाई महसूस हो रही है ; और

(ग) किन किन संस्थाओं में निर्माण-कार्यों में प्रशिक्षण देने का काम आरम्भ हो गया है और कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) भवन ठेकेदारों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है । तथापि रोजगार तथा प्रशिक्षण महा-निदेशालय ने प्रशिक्षण की दो योजनाएं आरम्भ की हैं—एक अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए पाइलट योजना तथा दूसरी भवन दस्तकारी में शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने के लिए । ये दोनों योजनायें सम्पूरक हैं तथा ये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से विशेषज्ञ सहायता के सहयोग से कार्यान्वित हो रही हैं । 14 अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 12 अन्य प्रशिक्षण पा रहे हैं । चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 224 स्थान मंजूर कर दिये गये हैं तथा इनमें से कुछ में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) पूर्व-निर्मित (प्री-फैब्रिकेटेड अथवा प्री-स्ट्रेस्ड) निर्माण कार्यों के लिए विशेष प्रकार के उपस्कर तथा मशीनों की आवश्यकता होती है इसके लिए विदेशी मुद्रा तथा उच्चस्तरीय तकनीकी जानकारी (एडवान्स्ड टैकनीकल नो हाऊ) चाहिए जो कि साधारण ठेकेदारों के सामर्थ्य से बाहर है । इसलिए वे इसे शुरू नहीं कर सकते ।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या LT—5884/66]

गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण दिया जाना

2706. श्री म० ल० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बख्शी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बसों और ट्रकों के क्रय के लिये गैर-सरकारी पार्टियों को ऋण देने वाली वित्तीय कम्पनियों